प्रेस नोट – गैंग पंजीकरण

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांकः 13.11.2026

नकबजनी व चोरी करने वाले 04 गिरोहों का पंजीकरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु शातिर एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी रोजा, निगोही व मदनापुर की आख्या के आधार पर अभियुक्त/गिरोह सरगना 1. मगरुर पुत्र पठान,नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (थाना रोजा, डी-74/26) 2. लक्ष्मण पुत्र स्व0 केदार सिंह, नि0 ग्राम मिल्किया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर (थाना निगोही, डी-75/26) 3. मयूर खॉ पुत्र कादम अली, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (थाना मदनापुर, डी-76/26) 4. अर्जुन उर्फ मोहित पुत्र अमर सिंह, नि0 ग्राम सराय साधौ, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर (थाना मदनापुर, डी-77/26) द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ आर्जित करने के उद्देश्य से नकबजनी व चोरी की घटनाओं को कारित करते है। इस प्रकार कुल 04 गिरोहों में 15 अपराधियों का पंजीकरण किया गया है।

1. गैंग पंजीकरण का उद्देश्य: गैंग पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले शातिर एवं आदतन अपराधियों की पहचान कर उन्हें पुलिस अभिलेखों में दर्ज करना है, ताकि उनके आपराधिक नेटवर्क, कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इससे गिरोह के सरगना एवं सदस्यों की पृथक-पृथक पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी निगरानी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

2. गिरोह के सदस्यों की सतत निगरानी: गैंग पंजीकरण के उपरांत संबंधित गिरोह के सरगना एवं सदस्यों की आपराधिक गतिविधियों, आपसी संपर्कों, मेल-जोल, आवागमन, कार्यक्षेत्र एवं संदिग्ध गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही उनके द्वारा किसी नई आपराधिक घटना की योजना बनाने अथवा अन्य अपराधियों के संपर्क में रहने संबंधी सूचनाओं का संकलन किया जाएगा।

3. अभिसूचना संकलन एवं सर्विलांस: स्थानीय पुलिस द्वारा गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखने हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए अभिसूचना संकलन, सर्विलांस एवं अन्य उपलब्ध वैधानिक माध्यमों से सूचनाएं एकत्र की जाएंगी। प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों, संपर्कों एवं संभावित आपराधिक योजनाओं के संबंध में समय रहते आवश्यक निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

4. गुंडा नियंत्रण अधिनियम एवं गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही: गिरोह के सरगना एवं सक्रिय सदस्यों के आपराधिक इतिहास, अपराधों की प्रकृति एवं उनकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 एवं उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति एवं आर्थिक लाभ की जानकारी प्राप्त कर साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार संपत्ति जब्तीकरण सहित अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

5. गिरोह में नए सदस्यों की पहचान एवं पंजीकरण: पुलिस निगरानी एवं अभिसूचना संकलन के दौरान यदि गिरोह के किसी नए सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आती है, तो उसकी भूमिका एवं आपराधिक गतिविधियों की गहन जांच की जाएगी। पर्याप्त तथ्य एवं साक्ष्य पाए जाने पर नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम गिरोह के अभिलेखों में सम्मिलित कर गैंग पंजीकरण में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही की जाएगी, जिससे गिरोह के संपूर्ण नेटवर्क की पहचान कर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

गैंग का विवरण

क्र0सं0	गैंग लीडर का विवरण	गैंग के सदस्य का विवरण	पंजीकरण संख्या	प्रकार व स्तर
1	मगरुर पुत्र पठान नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (गैंग लीडर)	1 मिदरी पुत्र सुल्तान, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 2 पतले पुत्र शाहिद नि0 ग्राम इस्लामनगर, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 3 अबरम पुत्र मुंशी, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 4 राहुल तोमर पुत्र राजकुमार, नि0 गढ़िया पैगम्बरपुर हरिंमपुर, थाना हजरतगंज, जनपद बदांयू (सदस्य)	**डी-74/26,** थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर	**प्रकार-** नकब लगाकर चोरी करने वाला गैंग (नकबजनी गैंग) **स्तर-** जनपदीय
2	लक्ष्मण पुत्र स्व0 केदार सिंह, नि0 ग्राम मिल्किया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर (गैंग लीडर)	1 दलगंजन सिंह पुत्र स्व0 लल्ला, नि0 ग्राम मिल्किया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 2 कैलाश पुत्र तेज राम नि0 ग्राम मिल्किया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 3 रवि कुमार वर्मा पुत्र सुरेशचन्द्र, नि0 मो0 मेन मार्केट कस्बा व थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य)	**डी-75/26,** थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर	**प्रकार-** घरों/दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाला गैंग (नकबजनी गैंग) **प्रकार-** जनपदीय
3	मयूर खॉ पुत्र कादम अली, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (गैंग लीडर)	1 ताहिर मियॉ पुत्र बहार मियॉ, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 2 तहरुन पुत्र हासिम, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य) 3 गुल मोहम्मद उर्फ डेडा पुत्र इसरार, नि0 ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य)	**डी-76/26,** थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर	**प्रकार-** नकबजनी/चोरी करने वाला गैंग **स्तर-** जनपदीय
4	अर्जुन उर्फ मोहित पुत्र अमर सिंह, नि0 ग्राम सराय साधौ, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर (गैंग लीडर)	1 साहिल पुत्र वीरेशपाल, नि0 ग्राम सराय साधौ, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य)	**डी-77/26,** थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर	**प्रकार-** नकबजनी/चोरी करने वाला गैंग **प्रकार-** जनपदीय

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु शातिर एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।